न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतान सिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या — 04/2020

वादीनी :—
सुमन पत्नि श्री जयराम जाति माली
निवासी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :—
1. अनाराम पुत्र राजुराम
2. कमला पत्नि सुखराम
जातियान माली निवासीगण
पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़
शहर जिला जोधपुर।
3. भूमिधारी जरीये तहसीलदार,
पीपाड़ शहर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :—
श्री जितेन्द्र कच्छावाह — वकील वादिनी की ओर से
श्री ऋषि टाक — वकील प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 23.07.2021

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पीपाड़ शहर पटवार क्षेत्र पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित वादिनी व प्रतिवादी संख्या एक से दो की संयुक्त खातेदारीशुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 2375 क्षेत्रफल 1.5937 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 11 व पुराना 25 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त खसरें की कृषि भूमि को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी में वादिनी का 1/4वां हक व हिस्सा कानूनन निहित है जिसको वादिनी ने जरिये बैचान रजिस्ट्री के प्रतिवादी संख्या एक से दिनांक 16.07.2015 को खरीद किया था। वादिनी की खरीदशुदा भूमि की बैचान रजिस्ट्री का नामान्तकरण वादिनी के पक्ष में स्वीकृत किया गया तथा राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया गया। पंजीबद्ध बैचाननामा दिनांक 16.07.2015 को निष्पादित करवाते समय भूलवश सहवन से वादिनी का घरेलु बोलचाल का नाम श्यामुदेवी अंकित कर दिया गया जबकि वादिनी का सही नाम सुमन है तब पंजीबद्ध बैचाननामा की त्रुटि में सुधार करने के लिए वादिनी को उपपंजीयक कार्यालय पीपाड़ शहर में निष्पादित करवाया जिसके अनुसार वादिनी ने पंजीबद्ध बैचाननामा में अपने नाम श्यामुदेवी के स्थान पर सुमन पढा जाने हेतु शुद्धिपत्र निष्पादित करवाया था। उक्त पंजीबद्ध बैचाननामा व शुद्धिपत्र की

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादिनी का नाम श्यामुदेवी अंकित है जो त्रुटिपूर्ण नाम है जबकि वादिनी का सही व वास्तविक नाम सुमन है। वादिनी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक डायरी में वादिनी का सही नाम सुमन अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादिनी का नाम भूलवश सेवन से श्यामुदेवी अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवानें की वादिनी अधिकारी है। वादिनी द्वारा दिनांक 16.12.2020 को तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष नाम शुद्धि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादिनी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादिनी के पास विकल्प नहीं है इसलिए वादिनी का उक्त वाद वास्तें सही नाम श्यामुदेवी पत्नि जयराम के स्थान पर सुमन पत्नि जयराम किये जाने की घोषणा हेतु प्रस्तुत है। बिनाय दावा बहक वादिनी बरखिलाफ प्रतिवादीगण दिनांक 16.12.2020 को उत्पन्न हुआ जो लगातार उत्पन्न हो रहा हैं। उक्त वादपत्र आराजी श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से सुनवाई करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है। वादपत्र उचित कोर्ट फीस स्टाम्प रूपये 2/-- अलावा तलबाना पर पेश है। इस्तदुआ वादिनी निम्न प्रकार से है – वादिनी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिक्री सादिर फरमायी जावें की ग्राम पीपाड़ शहर पटवार क्षेत्र पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 2375 क्षेत्रफल 1.5937 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादिनी का नाम श्यामुदेवी पत्नि जयराम के स्थान पर सुमन पत्नि जयराम घोषित किया जावें। अन्य अनुतोष जो हित वादिनी हो वादिनी के पक्ष में अता फरमावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से ऋषि टाक ने वकालतनाम प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने पर उनका जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार ने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम पीपाड़ शहर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता सं. 11 में खसरा नं. 2375 रकबा 1.5937 है। किस्म बारानी – चतुर्थ में श्यामुदेवी पत्नि जयराम 1/4 कमला पत्नि सुखराम 1/4, अनाराम पुत्र राजुराम 1/2 जाति माली सा. देह खातेदार दर्ज है। पैरा सं. 1 से स्पष्ट है कि वादी का खसरा नं. 2375 में हिस्सा 1/4

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

है एवं वादी ने उक्त भूमि रजि. बेचान दिनांक 16.07.2015 को खरीदी थी जिसके कम में नामा सं. 5220 दिनांक 24.08.2015 को दर्ज किया गया। रजि. बैचाननामा जो दिनांक 16.07.2015 को पंजीबद्ध हुआ था, के कम में नामा. सं. 5220 दिनांक 24.05.2015 को दर्ज कर दिया गया था एवं इसके पश्चात् वादी ने दिनांक 10.06.2020 को करेक्शन डीड रजि. कर नामा. हेतु प्रस्तुत किया था। परन्तु चूंकि सेल डीड का नामा. पूर्व में ही दर्ज हो चुका था। अतः करेक्शन डीड का नामा नियमानुसा दर्ज नहीं किया जा सकता था। अतः प्रार्थी को नाम शुद्धि के लिये सक्षम न्यायालय में वाद दायर हेतु निर्देशित किया गया था।

हमने बहस वकुलाय सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजो एवं वकील प्रतिवादीगण का जवाब का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय सुनी जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नं. 2375 रकबा 1.5937 हैक्टेयर में दर्ज नाम श्यामुदेवी पत्नि जयराम का सही नाम एवं आधारभूत अभिलेखो में अभिलेखित नाम दर्ज कर पालना पढावें।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 23.07.2021 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)